उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की कार्य योजना

- प्रदेश में गो आधारित प्राकृतिक खेती का ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार प्रसार व गोशाला को केन्द्र बनाकर प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में विचार। इस विषय में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं/सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किये जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा उनका सहयोग लिये जाने की अपेक्षा। कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग तथा वन विभाग द्वारा अपने–अपने प्रक्षेत्रों/नर्सरियों हेतु अधिकाधिक कम्पोस्ट/प्राकृतिक खाद का प्रयोग करने तथा उन्हें गोशालाओं व गो–आश्रय केन्द्रो से क्रय करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करते हुए गो आधारित समग्र ग्राम विकास बनाने की योजना।
- गोशालाओं के सुचारू संचालन एवं गोशालाओं को सवावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु पंचगव्य पदार्थों यथा सबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाली कायल, गोनाइल, गमले, गोकष्ठ, जैविक खाद, मूर्तियां, दीपक पंचगव्य निर्मित औषद्वियों आदि का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादन एवं बिक्री कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं गौशाला को स्वालम्बी बनाने हेतु योजना।
- बायोगैस ऊर्जा परम्परागत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण अवयव है तथा गोवंश के गोमय एवं गोमूत्र तथा अन्य बायो डिग्रडेबल पदार्थों का प्रयोग करते हुए रबड़/प्लास्टिक के छोटे बायोगैस ऊर्जा प्लाण्ट एवं बड़ी गौशालाओं में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सी0बी0जी0) प्लाण्ट स्थापित करने हेतु योजना।
- गोवंश के दूध के गुण धर्म एवं जीवदायी तत्वों को वरीयता प्रदान करते हुए भैंस के दूध से अधिक मूल्य निर्धारित कराने की योजना।
- प्रदेश में दो करोड़ पांच लाख गोवंश है तथा किसानों की संख्या दो करोड़ उनहत्तर लाख है। हर किसान के पास कम से कम एक गाय हो तो छुट्टा गोवंश का स्थाई समाधान हो जायेगा।
- पंचगव्य से निर्मित औषधियों का रोगियों के उपचार में समुचित उपयोग करने पर एवं पंजगव्य औषधियों हेतु ड्रग लाइसेंस हेतु कार्य योजना।
- समस्थ स्थाई/अस्थाई गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों की योजना बनाकर एवं शिविर आयोजित कर कुपोषित परिवारों को तथा मा0 मुख्यमंत्री जी गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत गोवंश को गोद लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाने, जिसमें अधिकतम चार गोवंश हेतु प्रति गोवंश 1500/– रु0 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु योजना।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/ कारपोरेट कम्पनियों को सी0एस0आर0 (Corporate social responsibility) के माध्यम से गोवंश संरक्षण के कार्यों में उद्योगपतियों को पंचगव्य आधारित उद्योग लगाने हेतु भी आकर्षित करने हेतु योजना।
- गोवंश तस्करी रोकने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की सीमा पर सुरक्षा चक्र बढ़ाये जाने, प्रदेश स्तर पर कॉल सेन्टर स्थापित करने तथा तस्करी कर ले जा रही गोवंश को मुक्त कराकर गो संरक्षण स्थल में अवस्थित किये जाने हेतु योजना।
- प्रत्येकस्थाई/अस्थाई गो आश्रय स्थल/केन्द्र में गोवंश के उपचार हेतु तहसील स्तर पर उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पर्यवेक्षण में क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी तथा क्षेत्र में कार्यरत मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से एकीकृत आकस्मक गोवंश चिकित्सा व्यवस्था बनाये जाने हेतु योजना।
- शासन द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2019 को उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें पशुपालन विभाग, नोडल विभाग है। इस कार्य को करने हेतु विभिन्न विभाग सामंजस्य एवं समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं यथा–राजस्व, नगर विकास, न्याय, कर निबन्धन, सिंचाइ, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास विभाग ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग नगर निकाय विभाग, गृह विभाग, नेडा, इत्यादि संज्ञान में आया है कि पशुपालन विभाग द्वारा सतत् पर्यवेक्षण एवं जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर साप्ताहिक/यथावश्यक समीक्षा बैठके की जा रही है। इसी प्रकार अन्य विभागों द्वारा भी पृथक रूप से उनको आवंटित कार्यो को जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर सतत् पर्यवेक्षण किये जाने हेतु योजना।
- गोशालाओं को बिजली व्यावसायिक दरों की बजाय कृषि कार्य हेतु दी जाने वाली दरों पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना।
- कतिपय कारागारों में गोशालाएं संचालित है, लेकिन उनके लिए कोई विशिष्ट आदेश शासन द्वारा नहीं किये गये हैं। जहाँ–जहाँ जेलों में भूमि उपलब्ध है वहाँ गोशालाएं स्थापित किये जाने हेतु योजना।
- कृत्रिम गर्भाधान हेतु उत्तर किस्म के दशी नस्लों की वीर्य (सीमन) तथा उन्नत किस्म के देशी सांड़ों को पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने, जिससे उन्नत किस्म के गोवंश पैदा हो सकें। स्वस्थ एवं अधिक दुग्ध उत्पादन वाली गाय से उत्पन्न बछड़ों का बधियाकरण न करते हुए उन्हें प्रजनन योग्य तैयार करने हेतु योजना।
- राष्ट्रीय राज्यमार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों कमें अवस्थित गोवंशों को चिन्हित करें उनके गले में रेडियम पट्टी का प्रयोग किये जाने, जिससे दुर्घअना से बचा जा सकें तथा राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर सतत् पेट्रोलिंग कर गोवंश के राजमार्ग क्षेत्र में आने से रोकने हेतु योजना।
- गौ आश्रय स्थल एवं वृहद् गौ आश्रय स्थल वाले ग्रामों में सहजन, सुबबूल, बरगद, नीम एवं पाकड़ इत्यादि वृक्षों का वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण करते हुए गोवंश को चारा एवं छाया उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना।
- स्थाई/अस्थाई गौ आश्रय स्थल को प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकार संगठन को Memoradum of understending (MoU) के तहत अनुबंध कर संचालित किये जाने हेतु योजना।
- स्वदेशी गोंवशं के नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थाई/अस्थाई गो आश्रय स्थल/केन्द्रों हेतु पृथक प्रजनन नीति तथा संतुलित पोषण हेतु पृथक पोषण नीति बनाये जाने हेतु योजना।
- गो तस्करी एवं गोवंश के प्रति अपराधों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना धनराशि आयोग को जमा कराया जाता है, उक्त धनराशि के सदुपयोग के विषय हेतु योजना।
- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 यथासंशोधित 2022 का कड़ाई के साथ अनुपालन कराने हेतु योजना।